संख्या- 111/2026/I/1293567/2026-68-5099/124/2026

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उ०प्र० लखनऊ ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक : 09 अप्रैल, 2026

विषयः उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने एवं बेसिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 26.05.1999 के अनुक्रम में शिक्षामित्र योजना प्रारम्भ की गयी थी। वर्तमान में प्रदेश में लगभग कुल 1,42,929 शिक्षामित्र कार्यरत हैं ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षामित्रों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे मानदेय की धनराशि रु0 10,000/- प्रतिमाह को सम्यक विचारोपरान्त बढ़ाते हुए दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से नियत मानदेय रु0 18,000/- प्रतिमाह की दर से वर्ष में 11 माह तक दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है।

कृपया उपर्युक्त निर्णय/आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
पार्थ सारथी सेन शर्मा
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन ।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० लखनऊ ।
4- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ ।
5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज ।
6- वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र० लखनऊ/बेसिक शिक्षा निदेशलय, उ०प्र० लखनऊ एवं बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वेद प्रकाश राय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in